

बोडोलैंड ववाद

प्रीलमिस के लिये:

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड

मेन्स के लिये:

बोडो आदवासियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे

चर्चा में क्यों?

24 नवंबर, 2019 को केंद्र सरकार ने उग्रवादी समूह 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड' (National Democratic Front of Bodoland- NDFB) पर प्रतिबंध को और पाँच साल के लिये बढ़ा दिया है।

प्रमुख बट्टि:

- **असम** आधारित उग्रवादी समूह NDFB पर हत्या और जबरन वसूली सहित कई हसिक गतविधियों में शामिल होने तथा भारत वरिधी ताकतों से हाथ मलाने का आरोप है।
- गृह मंत्रालय की अधसूचना के अनुसार, **गैर-कानूनी गतविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967** की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार NDFB को उसके सभी समूहों, गुटों और अग्रिम संगठनों के साथ गैरकानूनी संगठन घोषित करती है।
- केंद्र सरकार ने पछिले कुछ वर्षों में इस संगठन द्वारा की गई घटनाओं की संख्या का भी उल्लेख किया है। आँकड़ों के अनुसार, जनवरी 2015 के बाद से अभी तक लगभग 62 हसिक घटनाएँ घटित हुई हैं, जसिमें 19 लोगों की हत्या की गई। इस दौरान लगभग 55 चरमपंथी मारे गए हैं, 450 चरमपंथियों को गरिफ्तार किया गया है और उनसे 444 हथियार बरामद किये गए।
- गृह मंत्रालय के मुताबिक, NDFB ने नरसंहार और जातीय हसिा पैदा की जसिके परिणामस्वरूप हत्याएँ हुईं, गैर-बोडो की संपत्तिको नष्ट किया गया, असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में नवास करने वाले गैर-बोडो के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा किया गया, देश की सीमा पर शविरि एवं ठकाने स्थापति किया गया ताकि अलगाववादी गतविधियों को हवा दी जा सके।

बोडो समुदाय

- बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हसिसे में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। यह राज्य की कुल आबादी के 5-6 प्रतिशत से अधिक है। बोडो (असमिया) समुदाय के लोग पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल नवासी हैं तथा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत भारत की एक महत्त्वपूर्ण जनजाति है।
- असम के चार जिले कोकराझार (Kokrajhar), बक्सा (Baksa), उदलगुरी (Udalguri) और चरिंग (Chirang) **बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला** (Bodo Territorial Area District- BTAD) का गठन करते हैं।

क्या है बोडोलैंड का मुद्दा?

- 1960 के दशक से ही बोडो अपने लिये अलग राज्य की मांग करते आए हैं।
- असम में इनकी जमीन पर अन्य समुदायों का आकर बसना और जमीन पर बढ़ता दबाव ही बोडो असंतोष की वजह है।
- अलग राज्य के लिये बोडो आंदोलन 1980 के दशक के बाद हसिक हो गया और तीन धड़ों में बंट गया। पहले का नेतृत्व नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने किया, जो अपने लिये अलग राज्य चाहता था। दूसरा समूह बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स है, जसिने अधिक स्वायत्तता की मांग की। तीसरा धड़ा ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन है, जसिने मध्यम मार्ग की तलाश करते हुए राजनीतिक समाधान की मांग की।

- बोडो अपने क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधन पर जो वर्चस्व चाहते थे, वह उन्हें 2003 में मिला। तब बोडो समूहों ने हिसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा की राजनीति में आने पर सहमत जितवाई।
- इसी का नतीजा था कि बोडो समझौते पर 2003 में हस्ताक्षर किये गए और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ।

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड

National Democratic Front of Bodoland- NDFB

- अक्टूबर 1986 में बोडो सिक्योरिटी फोर्स (Bodo Security Force- BdSF) का गठन हुआ। बाद में BdSF का नाम बदलकर NDFB हो गया, जो एक ऐसा संगठन है, जसि हमलों, हत्याओं और जबरन वसूली करने के लिये जाना जाता है।
- 1990 के दशक में भारतीय सुरक्षा बलों ने इस समूह के खिलाफ व्यापक अभियान चलाए, जसि कारण इस समूह का भूटान की सीमा पर पलायन हुआ। इस समूह को वर्ष 2000 की शुरुआत में भारतीय सेना और रॉयल भूटान सेना द्वारा किये गए कठोर आतंकवाद विरोधी अभियानों का सामना करना पड़ा।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bodoland-dispute>

